न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–श्री सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	01/2024 (2024/32)	16/04/2024	सरकार बनाम सुलेमान	29.04.2026	1 लगायत 3

1. राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। –सायल(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री सुलेमान पुत्र श्री कमरूद्दीन जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी मदीना मज्जिद के पास पुलिस थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर ।

––गेर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री सुलेमान पुत्र श्री कमरूद्दीन जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

क.स	एफआईआर नं0	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	निर्णय का विवरण
1	537/21	11.12.2021	13 RPGO	254	12.12.2021	अर्थदण्ड से दण्डित
2	462/23	30.11.2023	13 RPGO	202	04.12.2023	अर्थदण्ड से दण्डित

इस्तगासा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गैरसालय (अप्रार्थी) श्री सुलेमान पुत्र श्री कमरूद्दीन जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी मदीना मज्जिद के पास पुलिस थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में रहता है। जो बचपन से ही गलत संगत में पड़ जाने के कारण आमजन के साथ भय कारित करना तथा सरेआम सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने का अभ्यस्त अपराधी हो गया है। जिसके विरूद्व अब तक 02 प्रकरण थाने में दर्ज हो चुके है। जिसमें से दो प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोषी मानते हुए दण्डित किया है। लेकिन शख्स उपरोक्त बेखौफ होकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने अभ्यस्त हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आमजन का परिवार संकट में पड़ गया है। गैरसायल सम्पूर्ण समाज के लिए खतरा हो चुका है।ऐसे व्यक्ति का स्वतंत्र रहना आमजन के लिए परिसंकटमय हो गया है। अतः गैरसायल श्री सुलेमान पुत्र श्री कमरूद्दीन जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी मदीना मज्जिद के पास पुलिस थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने की कृपा करे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ,गंगापुर सिटी
मु0नं0 01/24 सरकार बनाम सुलेमान

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण गैरसायल के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई तथा प्रार्थी पक्ष की सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष से दौराने बहस निवेदन किया कि गैरसायल के खिलाफ वर्तमान में पुलिस थाना, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी में 2 मुकदमें दर्ज है। जिसमें 2 मुकदमों में गैरसायल को अर्थदण्ड से दण्डित किया हुआ है। गैरसायल कई वर्षो से अपराधों में लिप्त रहा है एवं रूपयों से हार जीत का दाब लगाकर सट्टे की खाईवाली करता है। गैरसायल को अब तक जुआ के मुकदमों में 2 बार सजा हो चुकी है। गैरसायल का इतना आंतक है कि आम जन इसके खिलाफ गवाही देने व रिपोर्ट करने से डरता है। गैरसायल इलाके में और आमजन को आमशान्ति से रहने के लिए खतरा एवं नुकसान दायक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोजन अधिकारी की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभांति अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी में 2 मुकदमें दर्ज है। राजस्थान सार्वजनिक द्युत अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 2 बार दोषी मानते हुए दण्डित किया गया हैं। जिसमें 2 मुकदमों में गैरसायल को 2 बार 100–100 रू0 के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है के गैरसायल की गतिविधियों से लोक व्यवस्था में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उक्त आधार पर गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यावाही करना न्याय संगत है।

अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क),(ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट स्थितियां विघमान है। अतः राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम , 1975 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैरसालय को 07 दिन की अवधि के लिए सवाई माधोपुर जिले से थाना बदर करने का आदेश देता हूँ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner

सरवर्क

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ,गंगापुर सिटी
मु0नं0 01/24 सरकार बनाम सुलेमान

गैरसायल आज की तारीख से 25 दिन पश्चात् यानि 25.05.2026 से 07 दिन के लिए जिला करौली के थाना कुडगांव में दिन में एकबार प्रतिदिन अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी कुडगांव गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेगें तथा साप्ताहिक रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रेषित करेगें। थानाधिकारी थाना गंगापुर सिटी गैरसायल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियम तिथि को थाना कुडगांव जिला करौली में पहुंचाने की व्यवस्था करेगे।

थानाधिकारी , थाना कुडगांव को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिदिन उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करेगें एवं थानाधिकारी ,थाना गंगापुर सिटी गैरसायल के कस्बा गंगापुर सिटी में वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें। संबंधित थानाधिकाारी को तहरीर जारी की जावें तथा प्रति सूचनार्थ जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर को दी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner